75

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1652—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19.05.16 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 169/अपील/2012—13.

.....

1—शिवशंकर पुत्र जमुनाप्रसाद ब्राम्हण
2—गंगाप्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद ब्राम्हण
निवासीगण ग्राम एन्हो तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—भीखमराम पुत्र हरिविलास
निवासी एन्हो तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
2— म0 प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक कमांक—1
श्री प्रखर डेंगूलर पैनल, अभिभाषक,अना0 क0—2

.....

आदेश
(आज दिनांक 25-06-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश 19.5.16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम एन्हो तहसील गोहद में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 361, 363, 364, 365, 750, 751, 753, 781 के वन्दोबस्त के बाद नीवन सर्वे कमांक 760, 1269, 1245, 1246, 1250, 1247, 1254, व 1255 तैयार करते समय रकबे में हुई त्रुटि के कारण दुरूस्ती किये जाने के संबंध में संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष आंवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण कमांक 4/2005–06/अ–5 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 9.10.06 से नक्शा व राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.10.06 से दुखित होकर अपील अनावेदक कमांक–1 द्वारा अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.1. 13 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.10.06 निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा 169/2012–13/अपील पर दर्ज कर दिनांक 19.5.16 को अपील अस्वीकार की गई, इसी से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद के आदेश की गलत व्याख्या करते हुये केवल सर्वे कमांक 1250 का आदेश में उल्लेख करते हुये इस आधार पर अपील स्वीकार की गई है कि प्रकरण में नक्शा दुरूस्ती का है तथा नक्शा दुरूस्ती करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी गोहद को नहीं है जबकि वास्तविक रूप से प्रकरण नक्शा दुरूस्ती का न होकर खसरें के सुधार के संबंध में हैं ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी गोहद को स्पष्ट अधिकारिता है इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित किया गया है वह नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों को नजर अंदाज कर आदेश पारित किया है क्यों कि पटवारी एवं राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट

प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया था जिसे अपास्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई हे। अतः अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक कमांक 1 का यह आरोप कि विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जब प्रकरण में अनावेदक कमांक–1 की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है, और ना ही आवेदकगण की भूमि का रकवा बढ रहा है बल्कि जो वास्तविक रकवा है उसकी अभिलेख दुरूस्ती विचारण न्यायालय द्वारा की गई हे ऐसी स्थिति में अनावेदक को पक्षकर बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्यतः यह बताया गया है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में अनावेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया और न सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था जिससे वह अपना पक्ष समर्थन रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसलिये अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, और अपर कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5– उभयपक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा बन्दोबस्त के समय अधिकार अभिलोख में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने के संबंध में धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 2.1.05 में अधिकार अभिलेख में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के साथ–साथ नक्शे में सर्वे कमांक 1251, 1268, 1269, 1255, 1256, 760, 754, 755 की सीमायें दुरूस्त करने का उल्लेख किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा आदेश दिनांक 9.10.06 से अधिकार अभिलेख में हुई त्रुटि कों दुरूस्त करने के साथ–साथ नक्शे में भी दुरूस्ती किये जाने का आदेश दिया गया था। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 107

में किये गये प्रावधान के अनुसार नक्शे में संशोधन करने की अधिकारिता कलेक्टर को प्रदान की गई है। इससे अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है जिसे अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई थी और अपर कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 19.5.16 विधि प्रकिया से उचित है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"।**

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 169/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 19.5.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर